Title: Need to make available the iodised and ordinary salts both for consumption and abolish the act relating to compulsory purchase of Iodised Salt.

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदय, देश भर में कानून बना हुआ है कि आयोडीन युक्त नमक ही खरीदा जाए। आयोडीन युक्त नमक की कीमत 6 रुपए प्रति किलो है और साधारण नमक की कीमत एक रुपया प्रति किलो हैं। ऐसी स्थिति में गरीब आदमी को साधारण नमक के मुकाबले में आयोडीन नमक की कीमत पांच रुपए प्रति किलो अधिक देनी पड़ती है। वह जबरन आयोडीन नमक खाता है, जबकि उसको आयोडीन की जरूरत नहीं है और आयोडीन की अधिकता से नुकसान पहुंचता है। इस संबंध में सर्वोदय कार्यकर्ता प्रधान मंत्री जी से मिले थे। प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि तीन महीने के अन्दर इस कानून को खत्म करेंगे और कोशिश करेंगे कि देश भर में साधारण नमक भी मिले और आयोडीन युक्त नमक भी मिले व जैसा लोग पसन्द करें, वैसा नमक खरीदकर खायें। कानून खत्म न होने की स्थिति में लोगों को जबरन आयोडीन युक्त नमक खरीदना पड़ता है, जिससे 25 अरब रुपए का बोझ गरीबों पर पड़ रहा है। प्रधान मंत्री जी से हुक्म के बाद भी तीन महीने के अन्दर वह कानून समाप्त नहीं हुआ है। इससे लगता है कि आयोडीन नमक बनाने वाली लाबी काफी मजबूत है। रुपए-पैसे में ताकत होती है। रुपए-पैसे के बल पर प्रधान मंत्री का आदेश भी लागू नहीं हो रहा है। मैं मांग करता हूं कि इस कानून को समाप्त किया जाए और बाजार में साधारण नमक तथा आयोडीन नमक दोनों मिलने चाहिए, जिससे गरीब पर जो बोझ पड़ रहा है, उससे उसको राहत मिल सके।